

कार्यालय : वन क्षेत्र पदाधिकारी P15 Sushila Srang Jr

मानगो वन क्षेत्र, मानगो

पत्रांक 1409.....

दिनांक 22/08/24

Comp No 3170/24

सेवा में,

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी

जमशेदपुर।

विषय : वन्यजीव कछुआ के जप्ती की कारवाई के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 22-08-2024 लगभग 4:00 बजे अपराहन, गुप्त सूचना के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा गृहरक्षकों के साथ आदर्शनगर, कारमेल स्कूल के बगल, सोनारी, जमशेदपुर में एक दुकान के बगल में फुटपाथ से सटा हुआ एक शीशे के बक्से से कछुआ का दो छोटा बच्चा अवैध रूप से रखा हुआ पाया गया। आस पास के लोगों से पुछताछ करने पर भी अभियुक्त के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया तथा अगल बगल के दुकानों में भी खोजबीन तथा जाँच में कोई अन्य वस्तु संदिग्ध नहीं लगा। तत्पश्चात कछुआ का दोनों छोटा बच्चा को जप्त कर जप्ती सूची तैयार किया गया एवं जप्त कछुआ को मानगो वन क्षेत्र, मानगो में लाकर सुरक्षित रखा गया है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जुर्म प्रतिवेदन संख्या 000603 दिनांक 22.08.2024 की मूल प्रति समर्पित किया जा रहा है।


अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9,39,50,51 के तहत संज्ञेय दण्डनीय अपराध किया गया है। पुर्ण अपराध प्रतिवेदन जाँचोपरांत उचित माध्यम से समर्पित किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि अज्ञात अभियुक्तों पर कानूनी कारवाई प्रारम्भ करने की कृपा की जाय ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके।

नु० - 1. जुर्म प्रतिवेदन संख्या 000603 दिनांक 22.08.2024 की मूल प्रति।

2. जप्ती सूची की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

 22/8/24

वन क्षेत्र पदाधिकारी

मानगो वन प्रक्षेत्र

मानगो।

FOREST DEPARTMENT, JHARKHAND.

वन विभाग, झारखण्ड

JAMSHEDPUR FOREST DIVISION

.....प्रमंडल

No.

000603

Note--This report is to be submitted within 24 hours of the detection.

नोट-यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घंटे के अन्दर दाखिल करना चाहिये ।

Date 22.8.24

तारीख.....

Offence Report No. 000603

जर्म नम्बर.....

- Place of occurrence- घटना स्थान- सोनाटा जंक्शन जाल, वारमेल स्कूल के छाव में, पुरपाय के सटा
- Date and hour of detection- पकड़ने का समय और तारीख- समय:- 4:00 बजे लगभग अपराह्न, दि:- 22-8-24
- Name (s), parentage and residence of offender- नाम अपराधी, उसके पिता का नाम और पता- नाम - अज्ञात, पिता - अज्ञात, पता - अज्ञात
- Property seized, if any- जप्ती माल, अगर कोई- बटुआ का छोटा लोन्चा - 2 पीस
- Custody of seized property- जप्ती माल का जिम्मेवार- माली का पुत्र का पोषाण
- Name (s), parentage and residence of witness (es), if any- नाम, गवाह और उसके पिता का नाम और पता-
 - श्याम नारायण पाण्डे, जट्टरसख, सैन्य सं. 303
 - राम पटेल, जट्टरसख, सैन्य सं. 3490
 - कृष्ण कुमार सिंह, जट्टरसख, सैन्य सं. 3324
 - विनय कुमार सिंह, जट्टरसख, सैन्य सं. 3610
- Nature of offence and facts of the case- लोन्चा के अपराध व्यापार करने के तथ्य